

मॉब वायलेंस एंड मॉब लचिगि नविवरण वधियक, 2021

चर्चा में क्यों?

17 मार्च, 2022 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने **मॉब वायलेंस एंड मॉब लचिगि नविवरण वधियक, 2021** को राज्य सरकार को वापस कर दिया।

प्रमुख बदि

- राज्यपाल रमेश बैस ने इस वधियक में 'भीड़' शब्द को फरि से सही तरीके से परभाषति करने का नरिदेश देते हुए वधियक को वापस कर दिया है।
- इस वधियक को राज्यपाल ने करीब चार महीने तक अपने पास रखा और वधि विभाग से परामर्श कर इसे वापस कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि **संवधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य वधिानसभा द्वारा पारति कसिी भी वधियक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, वधियक (धन वधियक को छोड़कर) को पुनर्वचिार के लिये लौटा सकता है या वधियक को राष्ट्रपति के लिये सुरकषति रख सकता है।**
- गौरतलब है कि पिछले वर्ष 21 दसिंबर को झारखंड वधिानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य की हेमंत सरकार ने इसे सदन से पारति कराकर इस कानून पर मुहर लगाने के लिये राज्यपाल के पास भेजा था।
- राज्य सरकार ने मॉब लचिगि नविवरण वधियक, 2021 में जुरमाने के साथ संपत्ति की कुरकी और तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान कया है।
- इस वधियक में मॉब लचिगि में कसिी की मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान कया गया है। इसके अलावा गंभीर चोट आने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान है।
- वधियक के अनुसार, भीड़ को उकसाने वालों को भी दोषी माना जाएगा और उन्हें तीन साल की सज़ा दी जाएगी। अपराध से जुड़े कसिी साकष्य को नष्ट करने वाला भी अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा इस वधियक में पीड़ति परिवार को मुआवज़ा व पीड़ति के मुफ्त इलाज की व्यवस्था का प्रावधान कया गया है।